

**राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड**  
**58वीं बैठक दिनांक 09 सितम्बर, 2016 से संबंधित कार्य बिन्दुओं पर कृत कार्रवाई**

क्र.सं	कार्य बिन्दु	कृत कार्रवाई
<b>1</b>	<p>राज्य सरकार से संबंधित कार्य बिंदुओं का विवरण :</p> <p><b>क)</b> बैंक द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार का सृजन करने हेतु अधिसूचना जारी करना।</p> <p><b>ख)</b> बैंकों द्वारा "वसूली प्रमाण पत्र" को ऑन-लाइन फाइलिंग करने हेतु एन.आई.सी. द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार किया जाना।</p> <p><b>ग)</b> बैंकों द्वारा ` 5 लाख तक के वित्तपोषित स्वयं सहायता समूहों को कृषि ऋणों की भाँति "स्टॉम्प शुल्क" से विमुक्त रखना।</p> <p><b>घ)</b> जिला रुद्रप्रयाग एवं चम्पावत में आरसेटी संस्थान हेतु वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करायी जाए। विभिन्न आरसेटी संस्थानों में बी.पी.एल. अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने में संस्थान द्वारा किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति शीघ्र करवायी जाए।</p>	<p><b>क)</b> इस संबंध में राज्य सरकार से अधिसूचना जारी किया जाना प्रतीक्षित है।</p> <p><b>ख)</b> इस संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर कार्रवाई प्रगति में है।</p> <p><b>ग)</b> इस संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर कार्रवाई प्रगति में है।</p> <p><b>घ)</b> जिला प्रशासन, रुद्रप्रयाग एवं चम्पावत द्वारा आरसेटी संस्थान हेतु वैकल्पिक भूमि चिन्हित कर दी है।</p> <p>संबंधित जिला प्रशासन से बी.पी.एल. अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण खर्चों की प्रतिपूर्ति की जानी प्रतीक्षित है।</p>
<b>2</b>	<p>सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं पर सरकारी विभागों, बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधक हेतु कार्य बिंदु का विवरण :</p> <p><b>क)</b> प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा कैम्प मोड में ऋण वितरित किया जाना।</p> <p><b>ख)</b> सरकार द्वारा प्रायोजित सभी ऋण योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में लम्बित आवेदन पत्रों का दिनांक 30 सितम्बर, 2016 तक बैंकों द्वारा निस्तारित किया जाना एवं सभी लम्बित आवेदन पत्रों का अवधिवार विवरण एस.एल.बी.सी. को उपलब्ध कराएं।</p> <p><b>ग)</b> अग्रणी जिला प्रबंधक, देहरादून नाबार्ड के साथ</p>	<p><b>क)</b> प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा दिनांक 15 सितम्बर, 2016 से 30 अक्टूबर, 2016 के मध्य विभिन्न स्थानों पर विशेष कैम्प आयोजित कर ऋण वितरित किए गए हैं। अब तक 28,939 व्यक्तियों को ` 360.33 करोड़ के मुद्रा ऋण वितरित किए गए हैं।</p> <p><b>ख)</b> समस्त बैंकों ने विभिन्न योजनांतर्गत लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण कर दिया है एवं अवधिवार आँकड़े एस.एल.बी.सी. विवरणी में दर्शाए गए हैं।</p>

	<p>सहयोग कर सभी एस.एच.जी. का डाटा का दिनांक 30 सितम्बर, 2016 तक डिजीटाइजेशन करवाकर, ई.-शक्ति वेबपोर्टल पर अपलोड करवाएं।</p> <p><b>घ)</b> राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16 मई, 2016 को विभिन्न जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इसी क्रम में दिनांक 30 सितम्बर, 2016 से पूर्व राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विशेष बैठक कर प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने हेतु कार्ययोजना तैयार कर, उसे क्रियान्वित करवाना सुनिश्चित किया जाए।</p>	<p><b>ग)</b> नाबार्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला देहरादून के सभी स्वयं सहायता समूहों के संपूर्ण विवरण का डिजीटाइजेशन संबंधी कार्य प्रगति में है।</p> <p><b>घ)</b> सूखा प्रभावित सात जिलों के कृषि ऋणियों को राहत प्रदान करने हेतु दिनांक 19 सितम्बर, 2016 को सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में आयोजित एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड की विशेष बैठक में निर्णय लिया गया कि बैंकों द्वारा सूखा प्रभावित किसानों के दिनांक 30.04.2016 को स्टैण्डर्ड बैंक ऋणों की चुकौती हेतु बैंकों की अनुमोदित नीति के अनुसार छूट (Moratorium period) प्रदान की जाए और उन्हें नए कृषि ऋण भी उपलब्ध कराए जाएं। इसी क्रम में संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा डी.सी.सी. की विशेष बैठक का आयोजन भी किया गया है।</p>
<p><b>3</b></p>	<p><b>विभिन्न सामाजिक योजनाओं में अग्रणी जिला प्रबंधक एवं बैंकों हेतु कार्य बिंदु :</b></p> <p><b>क)</b> वित्तीय समावेशन हेतु सभी बैंक अपने चिन्हित एस.एस.ए. में दिनांक 30 सितम्बर, 2016 तक सोलर वी.-सैट स्थापित करना सुनिश्चित करें।</p> <p><b>ख)</b> सामाजिक सुरक्षा योजना :</p> <p><b>i)</b> प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में वृद्धि करना तथा उनका नवीनीकरण किया जाए</p> <p><b>ii)</b> प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में वृद्धि करना तथा उनका नवीनीकरण किया जाए।</p> <p><b>iii)</b> अटल पेंशन योजना में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि करना।</p>	<p><b>क)</b> कनेक्टिविटी रहित 1181 एस.एस.ए. में से बैंकों द्वारा 937 स्थानों को चिन्हित कर, वहाँ पर सोलर वी.-सैट स्थापित किए जाने का कार्य प्रगति में है।</p> <p><b>ख)</b> भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार बैंकों द्वारा दिनांक 15 सितम्बर, 2016 से 31 अक्टूबर, 2016 तक विशेष अभियान चलाकर योजनांतर्गत नए लाभार्थियों को पंजीकृत किया जा रहा है। इन योजनाओं में अब तक प्रगति निम्नवत् है :</p> <p><b>i)</b> पी.एम.एस.बी.वाई. के अंतर्गत 12,47,614 व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया है।</p> <p><b>ii)</b> पी.एम.जे.जे.बी.वाई. के अंतर्गत 3,38,258 व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया है।</p> <p><b>iii)</b> ए.पी.वाई. के अंतर्गत 21,283 व्यक्तियों को योजना में सम्मिलित किया गया है।</p>

<p><b>4</b></p>	<p><b>बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधक से संबंधित कार्य बिंदुओं का विवरण :</b></p> <p>क) वार्षिक ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 के लक्ष्यों की शत प्रतिशत प्राप्ति करना।</p> <p>ख) ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि हेतु जिले में गठित उप-समिति के सुझावों पर कार्रवाई करना।</p> <p>ग) एम.एस.एम.ई. ऋणों में वृद्धि हेतु कार्ययोजना पर कार्रवाई करना।</p>	<p>क) वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष की द्वितीय तिमाही तक बैंकों ने 41 % की दर्ज की है। (रु. करोड़ों में)</p> <table border="1" data-bbox="976 316 1544 534"> <thead> <tr> <th>मद</th> <th>लक्ष्य</th> <th>उपलब्धि</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>फार्म सेक्टर</td> <td>8563</td> <td>2787</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>नॉन फार्म सेक्टर</td> <td>4451</td> <td>2325</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>अन्य प्राथमिक क्षेत्र</td> <td>3371</td> <td>1574</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td><b>कुल</b></td> <td><b>16385</b></td> <td><b>6686</b></td> <td><b>41</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>ख) जिला स्तर पर बैंकों के ऋण-जमा अनुपात को बढ़ाने हेतु गठित उप-समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि क्षेत्र की संभाव्यता के अनुरूप क्लस्टर आधारित योजना के तहत ऋण प्रदान किए जाएं।</p> <p>ग) सभी बैंकों द्वारा दिनांक 15 सितम्बर से 31 अक्टूबर, 2016 के मध्य विशेष अभियान चलाकर विभिन्न स्थानों पर कैम्प लगाए गए और एम.एस.एम.ई. इकाइयों को ऋण वितरित किए गए हैं।</p>	मद	लक्ष्य	उपलब्धि	%	फार्म सेक्टर	8563	2787	33	नॉन फार्म सेक्टर	4451	2325	52	अन्य प्राथमिक क्षेत्र	3371	1574	47	<b>कुल</b>	<b>16385</b>	<b>6686</b>	<b>41</b>
मद	लक्ष्य	उपलब्धि	%																			
फार्म सेक्टर	8563	2787	33																			
नॉन फार्म सेक्टर	4451	2325	52																			
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	3371	1574	47																			
<b>कुल</b>	<b>16385</b>	<b>6686</b>	<b>41</b>																			
<p><b>5</b></p>	<p>सभी बैंक नियंत्रक, सितम्बर, 2016 की त्रैमासिक एस.एल.बी.सी. विवरणी 1-49 पूर्णतः जाँच करने के उपरांत सही एवं वास्तविक आँकड़े, दिनांक 15 अक्टूबर, 2016 तक एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट <a href="http://www.slbcuttarakhand.com">www.slbcuttarakhand.com</a> पर ऑन-लाइन प्रेषण करें।</p> <p>(कार्रवाई - सभी बैंक / अग्रणी जिला प्रबन्धक)</p>	<p>भारतीय रिजर्व बैंक की दिशानिर्देशों के अनुरूप एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड द्वारा ऑन-लाइन डाटा प्रेषण हेतु वेबपोर्टल (<a href="http://www.slbcuttarakhand.com/login/banklogin.aspx">www.slbcuttarakhand.com/login/banklogin.aspx</a>) के माध्यम से ही सदस्य बैंक अपने त्रैमासिक आँकड़ों का प्रेषण दिनांक 15 अक्टूबर, 2016 तक था, लेकिन कई बैंकों द्वारा निर्धारित तिथि के उपरांत भी आँकड़ों का प्रेषण नहीं कराया जाता है। भविष्य में सही एवं वास्तविक आँकड़ों का प्रेषण ही निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से करवाएं।</p>																				

\*\*\*\*\*